न्यायालय भू प्रवन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

(पीठासीन अधिकारी :– अशोक कुमार सॉंखला, आर0 ए0 एस0)

अपील संख्या :– 171/19 अन्तर्गत धारा 223 आर0 टी0 एक्ट

उनवान :– 1. राजस्थान राज्य जरिये जिला कलेक्टर, अलवर जरिये प्रभारी अधिकारी मुकदमा तहसीलदार, नीमराना लैण्ड होल्डर

:–––––प्रतिवादी / अपीलांट

बनाम

1 पान बाई पुत्री रामकुमार सिंह उर्फ उमराव सिंह
2 रामसिंह पुत्र स्व0 बालसिंह पौत्र नारायणसिंह
3 ओमपाल सिंह पुत्र स्व0 बालसिंह पौत्र नारायणसिंह
4 सुशीला पत्नि स्व0 नवलसिंह
5 वेदपाल सिंह चौहान पुत्र स्व0 नवलसिंह
6 बृजेन्द्र सिंह चौहान पुत्र स्व0 नवलसिंह
7 ईसा कुमारी पुत्री स्व0 नवलसिंह
8 नरेन्द्र सिंह पुत्र स्व0 बालसिंह पौत्र नारायणसिंह
9 अशोक सिंह पुत्र स्व0 बालसिंह पौत्र नारायण सिंह
10 ईश्वर सिंह पुत्र स्व0 बालसिंह पौत्र नारायण सिंह
11 हनुमान सिंह पुत्र स्व0 बाल सिंह पौत्र हरी सिंह
12 मुरली सिंह पुत्र स्व0 बाल सिंह पौत्र हरी सिंह
13 कबूल सिंह पुत्र स्व0 बाल सिंह पौत्र हरी सिंह
14 सत्यबीर सिंह उर्फ लाल पुत्र बाल सिंह पौत्र हरी सिंह
सभी जातियान राजपूत सभी निवासीयान ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर राजस्थान
15 करतार सिंह पुत्र मु0 लाडकंवर एवं सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम बाढान तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू वारिस मृतका श्रवण देवी बेवा रामकुमार सिंह उर्फ उमराव सिंह राजपूत निवासी ग्राम शाहजहांपुर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

16 शशिवाला पुत्री लाडकंवर एवं सुमेरसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम ढाणी वाढान तहसील खेतडी जिला झुन्झुनू वारिस मृतका श्रवण देवी वेवा रामकुमार सिंह उर्फ उमराव सिंह राजपूत निवासी शाहजहांपुर

:——वादीगण / रेस्पो0

17 उपेन्द्र कुमार भारद्वाज पुत्र सुभाष चन्द शर्मा निवासी ग्राम जैतपुर तहसील वहरोड जिला अलवर राजस्थान

18 डॉ0 विक्रम सिंह शेखावत पुत्र रोहिताश शेखावत जाति राजपूत निवासी ग्राम भैंसलाना तह0 कोटपूतली जिला जयपुर ।

:——— रेस्पो0

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री सहायक कलेक्टर, वहरोड

दिनांक 30.6.2001

स्थित :— 1. वकील अपीलांट :— श्री अमर चन्द चौधरी

(राजकीय अभिभाषक)

2. वकील रेस्पो0सं0 17 :— श्री जनार्दन शर्मा

निर्णय दिनांक 21.9.2021

---

1 यह अपील तहत न्यायालय सहायक जिलाधीश, बहरोड द्वारा राजस्व वाद संख्या 331 / 1994 बाबत इस्तकरार हक व हुकम इम्तनाई दवामी में पारित निर्णय दिनांक 30.6.2001, जिसके द्वारा उक्त वाद डिक्री किया गया था, के खिलाफ राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 223 के तहत इस न्यायालय में पेश की गई है ।

2 प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने तहत अदालत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि आराजी साबिक खसरा नम्बर 1024 रकवा 15 बीघा 09 बिस्वा वाके ग्राम शाहजहांपुर को वादीगण अपने बुजुर्गों के समय से काश्त करते आ रहे हैं । हमारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने के पूर्व एवं लागू होने के समय भी भूमि पर कब्जा काश्त रहा है । जमींदारी बिस्वेदारी उन्मूलन अधिनियम लागू होने के पूर्व

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

एवं लागू होने के समय भी हमारा कब्जा रहा है । बंदोबस्त सम्वत 2020 में खसरा नम्बर 1024 का हाल नम्बर 1571 बनाया तथा हाल बंदोबस्त में उक्त खसरा नम्बर 1571 का हाल नम्बर 2334 रकबा 7 हेक्टेयर 45 एयर बनाया गया है । वादीगण का कब्जा रकबा 88 एयर तरफ दक्षिण पर रहा है । वादी संख्या 1 व 2 की तरफ से उनका दामाद बहादुरसिंह काश्त करता था । इसलिये खसरा परिवर्तनशील में उनका नाम आता रहा है । पटवारी हल्का ने सम्वत 2014 में वादीगण का कब्जा माना है । लेकिन खिलाफ कानूनन उक्त भूमि को बंजड दर्ज कर दिया । सम्वत 2020 से 2042 तक यही इन्द्राजात चलता रहा है । जो दुरूस्ती योग्य है । अतः वाद पत्र डिक्री किया जावे । तहत अदालत ने निर्णय दिनांक 30.6.2001 द्वारा उक्त वाद पत्र डिक्री किया है, जिससे व्यथित होकर प्रतिवादी राज्य सरकार ने यह अपील पेश की है ।

3 दौराने विचारण अपील विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 17 ने निवेदन किया कि अपील का गुणावगुण पर निस्तारण करने से पूर्व मियाद बिन्दू पर बहस सुनी जावे । अपीलांट ने भी इस बारे में अपनी सहमति दी है । माननीय राजस्व मण्डल ने अपनी विभिन्न नजीरों में प्रतिपादित किया है कि प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही करने से पूर्व मियाद के बिन्दु को निर्णीत किया जावे । अतः माननीय राजस्व मण्डल द्वारा प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त के परिप्रेक्ष्य में मियाद बिन्दू पर बहस सुनी ।

4 राज्य सरकार (अपीलांट) की ओर से पैरवी करते हुये विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि तहत अदालत में अपीलांट की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित भी हुये थी, किन्तु बाद में पैरोकार सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाने की वजह से व नये पैरोकार सरकार की नियुक्ति नहीं होने की वजह से तहत न्यायालय में अपीलांट की ओर से पैरोकार उपस्थित नहीं हुये । जिस कारण अपीलांट के खिलाफ इकतरफा कार्यवाही करते हुये अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया गया । जिसकी जानकारी समय पर नहीं हो सकी थी । इस दौरान समय समय पर पैरोकार सरकार एवं जिला कलेक्टर बदलते रहे । इस कारण अपील पेश करने में देरी हुई । तहत अदालत का निर्णय प्रकाश में आने पर उक्त निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 10.10.2019 को हुई । जानकारी की तिथि से अपील अन्दर मियाद पेश कर दी है । उपरोक्त समस्त परिस्थितियों के मध्यनजर देरी को माफ किया जावे ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

5

जवाब में विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 17 का कथन है कि अपीलांट द्वारा तहत न्यायालय के समक्ष पैरोकार सरकार के उपस्थित नहीं होने बाबत अंकित किया है, जो उनके कर्त्तव्य के प्रति लापरवाही को दर्शाता है । अपीलांट तहत अदालत में पक्षकार थे । उनका कर्त्तव्य बनता है कि वो राज्य सरकार की ओर से पूर्ण दायित्व के साथ पैरवी करते । कानूनन विलम्ब हुये प्रत्येक दिवस का कारण बताना होता है । अपीलांट की लापरवाही के कारण अपील देर से पेश हुई है । देरी को तभी माफ किया जा सकता है, जब देरी का संतोषजनक कारण बताया जावे । अपील करीब 19 वर्ष बाद पेश की गई है । अतः अपील मियाद विन्दू पर खारिज की जावे । विद्वान वकील ने अपनी बहस के समर्थन में आर0 वी0 जे0 (21) 2014 पेज 623, आर0 बी0 जे0 (16) 2009 पेज 208. आर0 आर0 टी0 2009–10 (सप्लीमेंटरी) पेज 202 व आर0 आर0 टी0 2012 (2) पेज 1299 का हवाला दिया ।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा उभयपक्षीय बहस तर्कों पर गौर किया । तहत अदालत द्वारा दिनांक 30.6.2001 को निर्णय पारित किया गया था, जिसकी यह अपील राज्य सरकार की ओर से दिनांक 23.10.2019 को करीब 18 साल 4 माह बाद पेश की गई है । इस देरी के सम्बन्ध में विद्वान वकील अपीलांट (राजकीय अभिभाषक) ने बताया है कि वे पहले तहत अदालत में उपस्थित रहे थे, परन्तु पैरोकार सरकार का कार्यकाल समाप्त होने एवं नये पैरोकार सरकार की नियुक्ति नहीं होने के कारण तहत अदालत में उपस्थित नहीं हुये । नये पैरोकार सरकार एवं जिला कलेक्टर बदलते रहे हैं । इस परिस्थितियों के मध्यनजर अपील देरी से पेश की गई है । विद्वान वकील अपीलांट के ये तर्क युक्तियुक्त नहीं है । क्योंकि वे तहत अदालत में उपस्थित हो चुके थे । बाद में उपस्थित होना छोड दिया था । यह प्रतिवादी पैरोकार सरकार की लापरवाही रही है । पक्षकार को अपने केस के प्रति सजग रहना होता है । अपीलांट ने यह नहीं बताया कि तत्तकालीन पैरोकार सरकार का पद कब रिक्त हुआ था और नये पैरोकार सरकार तहसीलदार कब पदस्थापित हुये थे । इस दौरान जिला कलेक्टर का पद कब कब रिक्त रहा है और कब नये जिला कलेक्टर पदस्थापित हुये हैं । देरी का एक एक दिन का कारण बताना होता है, जो विद्वान वकील अपीलांट ने नहीं बताये हैं । विद्वान वकील अपीलांट ने जो कारण बताये हैं, वे युक्तियुक्त कारण नहीं है ।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील अधिकारी, अलवर

7 इसके पश्चात विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 17 द्वारा पेश किये गये न्यायिक दृष्टांतों का अध्ययन किया । आर0 वी0 जे0 (16) 2009 पेज 209 में माननीय राजस्व मण्डल की 2 सदस्यीय खण्ड पीठ ने अभिनिर्धारित किया है कि अगर देरी का संतोषजनक कारण नहीं बताया जाता है तो देरी को माफ नहीं किया जा सकता । इस नजीर में 3 साल की देरी को युक्तियुक्त कारण नहीं बताने पर माफ नहीं किया गया है । ऐसा ही मत आर0 आर0 टी0 2009–10 (सप्लीमेंटरी) पेज 203 तथा 2012 (2) पेज 300 में भी अभिनिर्धारित किया गया है । आर0 वी0 जे0 (21) 2014 पेज 623 में तो माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने मात्र 133 दिन की देरी को संतोषजनक कारण नहीं बताने पर माफ नहीं किया है । जब कि मौजूदा अपील में तो अपीलांट (राज्य सरकार) ने 18 साल 4 माह की देरी से अपील पेश की है और युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया है ।

8 उपरोक्त सभी नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में यह स्पष्ट है कि साधारण से साधारण देरी को भी युक्तियुक्त कारण नहीं बताने पर माफ नहीं किया जा सकता । हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने करीब 18 वर्ष 4 माह की देरी से अपील पेश की है और देरी का युक्तियुक्त कारण भी नहीं बताया है, जैसा कि इस निर्णय के पैरा नम्बर 6 में देरी का युक्तियुक्त कारण नहीं बताने के सम्बन्ध में विस्तृत विवेचना की जा चुकी है । लिहाजा उपरोक्त समस्त तथ्यों के विवेचन की रोशनी में तथा विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 17 द्वारा पेश की गई नजीरों में प्रतिपादित सिद्धान्तों के परिप्रेक्ष्य में अपील मियाद बिन्दू पर खारिज किये जाने योग्य है ।

अतः आदेश है कि अपील अपीलांट मियाद बिन्दू पर खारिज की जाती है ।

9 निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार हो ।

10

(अशोक कुमार सॉंखला)

भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन

राजस्व अपील अधिकारी,अलवर